प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनाँक 30.10.20

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

पुलिस के शहीदों की शहादत को नमन

आज दिनांक 31.10.20 को पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी श्री विजय ढुल द्वारा खीरी पुलिस के बहादुर शहीद पुलिसकर्मी वीर जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया, की स्मृति में रिजर्व पुलिस लाईन्स खीरी स्थित पुलिस कैंटीन का नाम शहीद विक्रम प्रताप सिंह पुलिस कैन्टीन व चिल्ड्रन पार्क का नाम शहीद कमलाकान्त तिवारी चिल्ड्रन पार्क रखा गया। इस मौके पर शहीद विक्रम प्रताप सिंह की पत्नी श्रीमती तनु एवं शहीद कमलाकान्त तिवारी की पत्नी श्रीमती रेखा देवी को पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय द्वारा सम्मानित किया गया।

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा लापता किशोरी को किया गया सकुशल बरामद, किशोरी को बहला फुसलाकर साथ ले जाने वाला अभियुक्त भी किया गया गिरफ्तार

दिनांक 30.10.20 को थाना नीमगांव पर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक छात्रा सिकन्दराबाद से ट्यूशन पढ़ने के बाद अपने घर नहीं लौटी है।

सूचना पर थाना नीमगांव में तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी द्वारा घटना के अनावरण व छात्रा की सकुशल बरामदगी हेतु क्षेत्राधिकारी मितौली के नेतृत्व में 05 पुलिस टीमों के गठन करने के निर्देश दिए गए।

पुलिस टीमों द्वारा अथक प्रयास करते हुए छात्रा की सकुशल बरामदगी कर ली गई है। अब तक की गई विवेचना से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि छात्रा एक व्यक्ति से जरिए मोबाइल फोन बात करती थी और उसी के द्वारा छात्रा को बहला फुसला के ले जाना प्रकाश में आया है। सिकन्दराबाद चौराहे से प्राप्त सीसीटीवी फुटेज व मोबाइल सर्विलान्स से प्राप्त साक्ष्य और छात्रा द्वारा धारा 161 सीआरपीसी के अन्तर्गत दिए गए बयानों में इसकी पुष्टि हो रही है। जिसके आधार पर आज दिनांक 31-10-20 को पुलिस द्वारा अभियुक्त चन्द्रसेन उर्फ़ छोटे पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम भगतपुर थाना मैलानी जनपद खीरी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया है।

राष्ट्रीय एकता दिवस

आज दिनांक 31.10.20 को रिजर्व पुलिस लाईन्स खीरी , पुलिस कार्यालय तथा जनपद खीरी के समस्त थानों पर लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 145 वीं जयंती को ''**राष्ट्रीय एकता दिवस**'' के रुप में मनाया गया।

इस अवसर पर रिजर्व पुलिस लाईन्स खीरी मे पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय श्री विजय ढुल द्वारा सरदार वल्लभभाई पटेल के स्वतंत्र संग्राम एवं राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद करते हुए राष्ट्र की एकता, अखण्डता और सुरक्षा बनाये रखने के लिए सभी अधिकारीगण/कर्मचारीगण को शपथ दिलायी गई।

जनपद खीरी (दिनांक 31.10.20)

पुलिस झण्डा दिवस के अवसर पर दिनांक 21 से 31 अक्टूबर तक रिजर्व पुलिस लाईन्स खीरी मे पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी श्री विजय ढुल के निर्देशानुसार विभिन्न खेल/सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

इस दौरान रिक्रूट आरक्षीगण की खेलकूद प्रतिस्पर्धा में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 4 X100 रिले दौड़, तीन किलोमीटर क्रास कन्ट्री, गोला फेंक, रस्साकसी, वालीबाल एवं फुटबॉल खेल का आयोजन किया गया। “राष्ट्र निर्माण में पुलिस की भूमिका” शीर्षक पर वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

आज दिनांक 31.10.20 को पुलिस लाईन्स में इस 10 दिवसीय कार्यक्रम का समापन किया गया, जहां पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी श्री विजय ढुल द्वारा सभी विजेता टीमों/प्रतिभागियों को पुरस्कृत करके उनका उत्साहवर्द्धन किया गया। इस मौके पर रिक्रूट आरक्षीगण द्वारा देश भक्ति की भावना से ओत-प्रोत होकर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए, जिसकी सभी द्वारा सराहना की गई।

<u>शातिर गैंगस्टर अभियुक्त इस्माइल पुत्र मास्टर उर्फ हबीब के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत की गई कार्यवाही, लगभग 12 लाख रूपये से अधिक की संपत्ति की गयी जब्त</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद खीरी पुलिस द्वारा अपराध की रोकथाम व शातिर अपराधियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में खीरी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत अपराध से अर्जित की गयी संपत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही निरंतर रूप से की जा रही है। आज दिनांक 31.10.20 को थाना मैलानी पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शातिर अपराधी इस्माइल पुत्र मास्टर उर्फ हबीब निवासी भुड़वारा थाना गोला जनपद खीरी के विरूद्ध गैगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत लगभग 12 लाख रूपये से अधिक की संपत्ति जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी है। जिसमें अभियुक्त का मकान और ई-रिक्शा शामिल है। अभियुक्त इस्माइल शातिर किस्म का अपराधी है जिसके द्वारा संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए गोवध जैसा जघन्य अपराध किया जाता है।

<u>**थाना निघासन पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र कारतूस सहित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद स्तर पर चलाये जा रहे वांछित / वारंटी अभियुक्त / संदिग्ध व्यक्ति चेकिंग अभियान के दौरान निघासन पुलिस द्वारा आज दिनांक 31.10.2020 को सिसैया मोड़ के पास से अभियुक्त सर्वेश कुमार पुत्र मनोहर लाल निवासी ग्राम शाहपुर म 0 पढ़ुवा थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। जिसकी जामा तलाशी 01 तमन्चा देशी 12 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। अभियुक्त सर्वेश कुमार के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय भेजा गया है।

<u>**पंजीकृत अभियोग विवरण -**</u>

मु0अ0सं0 820/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम सर्वेश कुमार पुत्र मनोहर लाल निवासी ग्राम शाहपुर म 0 पढ़ुवा थाना निघासन जनपद खीरी

<u>**बरामदगी -**</u>

01 अदद तमन्चा देशी 12 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर ।

<u>**अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास -**</u>

1. मु0अ0सं0 30/2006 धारा 302 भादवि थाना धौरहरा खीरी
2. मु0अ0सं0 41/2006 धारा147/148/149/307 भादवि थाना धौरहरा खीरी
3. मु0अ0सं0 43/2006 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना धौरहरा खीरी
4. मु0अ0सं0 473/2009 धारा 302/504/120B भादवि व सीएल एक्ट थाना सिंगाही खीरी
5. मु0अ0सं0 1278/2009 धारा 147/148/149/307 भादवि व सीएल एक्ट थाना सिंगाही खीरी
6. मु0अ0सं0 1366/2009 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना निघासन खीरी
7. मु0अ0सं0 1367/2009 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना निघासन खीरी
8. मु0अ0सं0 1021/2008 धारा 307 भादवि थाना निघासन खीरी
9. मु0अ0सं0 652/2009 धारा 307 भादवि थाना निघासन खीरी
10. मु0अ0सं0 653/2009 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना निघासन खीरी
11. मु0अ0सं0 675/2009 धारा 380/411 भादवि थाना फूलबेहड़ खीरी
12. मु0अ0सं0 108/2013 धारा 379 भादवि थाना निघासन खीरी
13. मु0अ0सं0 413/2013 धारा 415/307/302 भादवि थाना निघासन खीरी
14. मु0अ0सं0 797/2013 धारा 41/411/414 भादवि थाना निघासन खीरी
15. मु0अ0सं0 798/2013 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना निघासन खीरी

<u>**थाना मितौली पुलिस द्वारा हत्या के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज दिनांक 31-10-20 को थाना मितौली पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 204 /20 धारा 302 / 201 आईपीसी मे वांछित अभियुक्त सुशील पुत्र राम सिंह निवासी महमूदपुर थाना मैगलगंज खीरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

1. थाना निघासन पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 779/20 धारा 363/366 भादवि0 में वांछित अभियुक्त प्रदीप पुत्र सुन्दरलाल नि0 प्रमोदापुर थाना निघासन खीरी को गिरफ्तार किया गया।
2. थाना धौरहरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 375 धारा 379 भादवि0 में वांछित अभियुक्त सुरेश पुत्र जयपाल नि0 रायपुर थाना निघासन खीरी को गिरफ्तार किया गया।
3. थाना धौरहरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 445/20 धारा 363/366 भादवि0 में वांछित अभियुक्त सरजू पुत्र सोबरनलाल नि0 मंझरा थाना तिकुनिया खीरी को गिरफ्तार किया गया।
4. थाना धौरहरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 329/20 धारा 147/149/452/354क/323/504/342/506 भादवि0 में वांछित अभियुक्तगण 1. विजय पुत्र मुनीश 2. पवन पुत्र जयप्रकाश नि0गण आघरा गुलरिया थाना धौरहरा खीरी को गिरफ्तार किया गया।
5. थाना धौरहरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 470/20 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्तगण 1. असलम पुत्र माठू नि0 शेखनपुरवा थाना धौरहरा खीरी 2. जहीर पुत्र कोली नि0 महराजनगर खीरी को गिरफ्तार किया गया।
6. थाना निघासन पुलिस द्वारा अ0सं0 एसटी 267/18 धारा 147/148/149/307/323/504/506 भादवि0 में वारंटी अभियुक्तगण 1. हिफाजत अली पुत्र ताज मोहम्मद 2. तौकीर अली पुत्र अग्गनी नि0गण ग्राम सवारागदियाना थाना निघासन खीरी को गिरफ्तार किया गया।
7. थाना निघासन पुलिस द्वारा अ0सं0 एसटी 1095/19 धारा 213 भादवि0 में वारंटी अभियुक्त रंजीत पुत्र राजाराम नि0 बौघिया खुर्द थाना निघासन खीरी को गिरफ्तार किया गया।
8. थाना निघासन पुलिस द्वारा अ0सं0 एसटी 38/16 धारा 354बी/323/504/376 भादवि0 व ¾ पाक्सो एक्ट में वारंटी अभियुक्त सरीफ पुत्र नत्था नि0 पढुवा थाना निघासन खीरी को गिरफ्तार किया गया।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **160 लीटर अवैध कच्ची शराब, 02 शराब भट्ठी बरामद कर 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार** किया गया है। विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	**थाना मैलानी**	55 लीटर	05 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	**थाना पलिया**	50 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	**थाना खीरी**	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	**थाना फूलबेहड़**	20 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	**थाना मितौली**	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	**थाना फरधान**	05 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	160 लीटर	11 अभियुक्त गिरफ्तार